

अधिसूचना

संख्या ०२/परी०-०१(राज०)-११/२०१७- कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-१८८३ दिनांक-१०/१०/१९६१ द्वारा गठित केन्द्रीय परीक्षा समिति को सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या-१४३९३ दिनांक-१५/११/२०१७ द्वारा विभिन्न विभागीय परीक्षा आयोजन हेतु दायित्व प्रदान किया गया है। उक्त के आलोक में निर्गत राजस्व पर्षद की अधिसूचना संख्या-०२/परी०-०१(राज०)-११/२०१७-२९३१ दिनांक- ०१.१२.२०१७ एवं अधिसूचना संख्या-१३००, दिनांक- २९.०५.२०१८ द्वारा केन्द्रीय परीक्षा समिति ने राजपत्रित/अराजपत्रित पदाधिकारियों की विभागीय परीक्षा हेतु नये पाठ्यक्रम एवं नई प्रणाली तय की थी। उक्त अधिसूचना के प्रख्यापित होने के पश्चात् कारा विभाग के पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु परामर्श की मांग की गयी थी। प्राप्त परामर्श के आधार पर कारा विभाग के पर्षदीय अधिसूचना संख्या-२९३१, दिनांक-०१.१२.२०१७ द्वारा पूर्व अधिसूचित विषयों एवं पाठ्यक्रम तथा विषय कोड को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

क्र.सं.	सेवा संवर्ग	विषय
1.	बिहार कारा सेवा	- हिन्दी लिखित (कोड-०१) - कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-०२) - दण्ड विधि विषय कोड-(०३) - बिहार लोकल लॉ(कोड-०५) - सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-०७) - बिहार कारा सेवा सम्बन्धी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-११)
2.	बिहार सहायक कारा अधीक्षक सेवा	- हिन्दी लिखित (कोड-०१) - कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-०२) - दण्ड विधि विषय कोड-(०३) - बिहार लोकल लॉ(कोड-०५) - सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-०७) - बिहार कारा सेवा सम्बन्धी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-११)
3	बिहार प्रोवेशन सेवा	- हिन्दी लिखित (कोड-०१) - कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी (कोड-०२) - दण्ड विधि विषय कोड-(०३) - बिहार लोकल लॉ(कोड-०५) - सामान्य शासकीय नियम एवं नियमावली (कोड-०७) - बिहार प्रोवेशन सेवा सम्बन्धी विशेष प्रश्न पत्र (कोड-११ A)

2 . उक्त आलोक में तीनों सेवाओं के विशेष प्रश्न पत्रों का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से है:-

Syllabus for Special Paper for Bihar jail/ Assistant jail Superintendent Service (Code-11)

- (1) Bihar Prison Manual, 2012
- (2) The Suppression of Immoral Traffic Act, 1956 & amendments
- (3) The Juvenile Justice (Care and protection of Children) Act, 2015
- (4) The Bihar Juvenile Justice (Care and Protection of children) Rule, 2017
- (5) The Protection of Human rights Act, 1993
- (6) अपराध पीडित कल्याण न्यास नियमावली-२०१२
- (7) बिहार कैदी (अस्थायी निर्मुक्ति) नियमावली, १९७३

- (8) Case Law- Upendra Nath Chaudhary Vs. the High Court of Judicature at Patna (19-04-2007)
- (9) Criminology and Penology- by N.V. Paranjape
- (10) Criminal Psychology-by Navin Kumar
- (11) Penology and Correctional administration- by J.C.Chaturvedi
- (12) Prisons Act, 1894.
- (13) Prisoners Act, 1900.
- (14) Reformatory School Act, 1897.
- (15) Preventive Detention Act, 1950.
- (16) Identification of Prisoners Act, 1920.

Syllabus for Special Paper for Bihar Probation Service (Code-11 A)

- (1) The Probation of Offenders Act, 1958
- (2) Section 360 in The Code of Criminal Procedure, 1973 & Section 562 of the Code, 1898
- (3) The Bihar Probation of Offenders Rules, 1959.
- (4) The Juvenile Justice (Care & Protection of children) Rules, 2015
- (5) The Bihar Juvenile Justice (Care & Protection of children) Rules, 2017
- (6) The Bihar Probation Service Rule, 2014 & amendments
- (7) The Bihar Prisoners' (Parole) Rules, 2012
- (8) Victim of the Offence Welfare Trust, 2012
- (9) The Suppression of Immoral Traffic Act, 1956 & amendments.
- (10) The Protection of Human Rights Act, 1993
- (11) The Constitution of State Sentence Remission Board-Notification No. 3106 date- 10.12.2002.
- (12) The Bihar Prison Manual.
Chapter 3 - Classification of Jails (Rules 5 to 7)
Chapter 4- Organizational Structure (Rules 8 to 30)
Chapter 15 - Release (Rules 474 to 487) Only.
- (13) Case Law: Upendra Nath Chaudhary vs the High court of Judicature at Patna 2007 (19.04.2007)
- (14) Reformatory Schools Act. 1897(Including Borstal School)

3. अधिसूचना पर सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति प्राप्त है।

केन्द्रीय परीक्षा समिति,
राजस्व परषद, बिहार के आदेशानुसार

ह0 / -
(सुरेन्द्र झा)
सचिव,
राजस्व परषद, बिहार

झापांक:-02/परी0-01(राज0)-05/2018-

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (ई-गजट प्रशाखा), बिहार, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक-

ह0/-

(सुरेन्द्र झा)

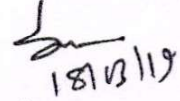
सचिव,

राजस्व पर्षद, बिहार।

पटना, दिनांक- 18-03-2019

झापांक:-02/परी0-01(राज0)-05/2018-593

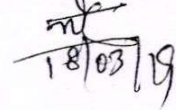
प्रतिलिपि:-माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/उप महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/मुख्य सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


18/03/19

(सुरेन्द्र झा)

सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार।


18/03/19